बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
(बिहार सरकार का उपक्रम)
कौटिल्य नगर, पटना–14.

कार्यालय फोन– 0612-2950702

(द्विबीड पद्धति)

अल्पकालीन ई0–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 06/2024–25

1	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	:	मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
2	निविदा आमंत्रित करने की तिथि	:	दिनांक– 27–06–2024
3	निविदा डाउनलोड करने की तिथि	:	दिनांक– 11–07–2024 से 23–07–2024 तक।
4	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	दिनांक– 25–07–2024 को 17:00 बजे तक।
5	(क) तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक– 29–07–2024 को 16:00 बजे।
	(ख) वितीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	:	तकनीकी बीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात्।
6	प्री बीड मिटिंग की तिथि,समय एवं स्थान	:	दिनांक– 15–07–2024 को 15:00 बजे। मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।
7	निविदा पत्र बिकी का स्थान	:	www.eproc2.bihar.gov.in पर ।
8	निविदा की वैद्यता अवधि	:	120 दिन।
9	कार्य का विवरण :–	:	

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य0 अभि0, बि0पु0भ0 नि0 नि0, कार्य प्रमण्डल	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	निविदा कागजात का मूल्य (रू0 में)	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रू0 में	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नवादा जिलान्तर्गत जिला अभियोजन कार्यालय का विद्युितिकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा)	राजगीर	143.55	287100	10000	As per eproc 2	12 माह
2.	बक्सर जिलान्तर्गत जिला अभियोजन कार्यालय का विद्युितिकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा)	पटना	168.25	336500	10000	As per eproc 2	12 माह
3.	गोपालगंज जिलान्तर्गत जिला अभियोजन कार्यालय का विद्युितिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	126.62	253250	10000	As per eproc 2	12 माह
4.	मधेपुरा जिलान्तर्गत जिला अभियोजन कार्यालय का विद्युितिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	145.06	290120	10000	As per eproc 2	12 माह
5.	अररिया जिलान्तर्गत जिला अभियोजन कार्यालय का विद्युितिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	126.55	253150	10000	As per eproc 2	12 माह
6.	शिवहर जिलान्तर्गत जिला अभियोजन कार्यालय का विद्युितिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	126.59	253200	10000	As per eproc 2	12 माह
7.	भागलपुर जिलान्तर्गत जिला अभियोजन कार्यालय का विद्युितिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	142.50	284990	10000	As per eproc 2	12 माह
8.	पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिलान्तर्गत जिला अभियोजन कार्यालय का विद्युितिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	125.58	251200	10000	As per eproc 2	12 माह
9.	जहानाबाद जिलान्तर्गत जिला अभियोजन कार्यालय का विद्युितिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	125.31	250650	10000	As per eproc 2	12 माह

कृ0पृ0उ0.....2/

10.	समस्तीपुर जिलान्तर्गत जिला अभियोजन कार्यालय का विद्युितिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	131.43	262900	10000	As per eproc 2	12 माह
11.	मधेपुरा जिलान्तर्गत महिला थाना भवन (G+2 Structure) का विद्युितिकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा)	पूर्णियाँ	178.76	357600	10000	As per eproc 2	12 माह
12.	पटना जिलान्तर्गत बिहटा में रेल थाना सह बैरक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	156.22	312500	10000	As per eproc 2	12 माह
13.	पटना जिलान्तर्गत दानापुर में रेल पी0पी0 थाना सह बैरक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	157.02	314100	10000	As per eproc 2	12 माह
14.	सुपौल जिलान्तर्गत नदी थाना भवन (G+1), विद्युतिकरण सहित का निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	172.52	345100	10000	As per eproc 2.	12 माह
15.	नवगछिया जिलान्तर्गत नदी थाना भवन (G+1), विद्युतिकरण सहित का निर्माण कार्य।	भागलपुर	172.52	345100	10000	As per eproc 2.	12 माह

10. निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता :— सक्षम प्राधिकार
11. कोई भी संवेदक जो केन्द्र सरकार/किसी राज्य सरकार/किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समुचित श्रेणी में निबंधित हो, निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु कार्य का आवंटन आदेश प्राप्त होने के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से किसी अन्य विभाग के निबंधन पर कार्य आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है, तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
12. विद्युतीकरण सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा। विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का **शपथ–पत्र** संलग्न करना अनिवार्य होगा। सिर्फ विद्युतिकरण कार्य के लिए विद्युतिकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा ।
13. वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित रहेगें, जिन पर पूर्व से आवंटित योजना का कार्य अकारण लंबित चला आ रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा निर्धारित समय के दौरान नहीं किये हैं, या फिर एकरारनामा के उपरांत निर्धारित समय में कार्य शुरू नहीं किये है। राज्य सरकार के किसी भी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गए / निलंबन/डिबार किये गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगें।
14. परिमाण विपत्र की राशि अंक–गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात् घट/बढ़ सकती है। तद्नुसार परिमाण विपत्र एवं अग्रधन की राशि संशोधित होगी। निविदा प्रपत्र में Uploaded परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
15. निविदा केवल ई–निविदा पद्धति के अनुसार www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा। निविदा संबंधी जानकारी Help Desk के Toll Free No. 18005726571 या E-mail ID eproc2suport@bihar.gov.in के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
16. ई–निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई–प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेवसाईट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificate) भी. प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई–निविदा में भाग ले सकेंगे।
17. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender preview में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
18. ई–निविदा के Exel format को पूर्ण रूप से भरा जाना अनिवार्य है। निविदा कागजात भरकर वेबसाइट पर हीं जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाइट से ही प्राप्त होगी। निविदा संम्बंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र निगम के बेवसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
19. क्रमांक–7 में अंकित Bid-Processing charge+service tax का भुगतान संवेदक internet payment gate way (credit/Debit cards) अथवा internet banking अथवा NEFT/RTGS CHALLAN के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid Processing Fee Account में Credit करेगें।

कृ0पृ0उ0....3/

20. निविदा कागजातों के मूल्य की राशि का भुगतान संवेदकों द्वारा eproc2 portal पर Online mode में जमा करना अनिवार्य है। जो संवेदक को वापस नहीं किया जायेगा। किये गये भुगतान से संबंधित कागजात की Scanned copy साक्ष्य के तौर पर निविदा कागजातों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

21. निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि (EMD) केवल BG (Bank Guarantee) or internet payment gate way अथवा internet banking के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा जिसका Verification Online किया जाएगा। अग्रधन की राशि (EMD) संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित होना अनिवार्य है। संबंधित कार्य प्रमण्डल के लिए जो निविदाकार बैंक गारन्टी दे रहे हैं तो, BG (Bank Guarantee) में निम्न उल्लेखित करें।

(i) पटना प्रमण्डल	–	ICICI Bank Account No. :- 194305500196 IFSC Code No. :- ICIC0001943
(ii) राजगीर प्रमण्डल	–	ICICI Bank Account No. :- 194305500199 IFSC Code No. :- ICIC0001943
(iii) पूर्णियाँ प्रमण्डल	–	ICICI Bank Account No. :- 194305500197 IFSC Code No. :- ICIC0001943
(iv) भागलपुर प्रमण्डल	–	ICICI Bank Account No. :- 194305500252 IFSC Code No. :- ICIC0001943
(v) मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प हाजीपुर	–	ICICI Bank Account No. :- 194305500253 IFSC Code No. :- ICIC0001943
(vi) मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	–	ICICI Bank Account No. :- 194305500259 IFSC Code No. :- ICIC0001943
(vii) दरभंगा प्रमण्डल	–	ICICI Bank Account No. :- 194305500254 IFSC Code No. :- ICIC0001943

For issuing Bank Gurantee, applicant must mention receiver's details as: ICICI Bank IFSC ICIC0001943, Branch- Ashiana Nagar, Patna, at which SFMS IFN 760 message shall be sent by issuing bank through SFMS, to establish the authenticity of issued BG.

22. निविदा द्वि–वीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं संबंधित नियम एवं शर्तें लागू रहेगी।

23. कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।

24. कम्पनी एक्ट अथवा साझेदारी अधिनियम के तहत निबंधित संवेदक के अग्रधन की राशि कम्पनी/फर्म के नाम से ही मान्य होगा। ऐसे मामले में व्यक्तिगत नाम से अग्रधन की राशि मान्य नहीं होगी।

25. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/ स्थगित/निविदा तिथि विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।

26. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।

27. मूल निर्माण कार्य के लिए डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड 3 (तीन) वर्ष एवं मरम्मति कार्य के लिए 1 (एक) वर्ष का होगा। यह तिथि Successful handing over of Project date से लिया जा सकेगा।

28. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fees) एवं स्वामित्व (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तद्आलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।

29. **निविदाकर्त्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दें, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।**

30. कार्यादेश के उपरान्त अद्यतन लेबर लाइसेन्स देना अनिवार्य होगा।

31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगें। कार्य की गुणवत्ता की जाँच राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/ भारतीय मानक व्यूरो (BIS) / अभियंत्रण संस्थान/ सरकारी प्रयोगशाला से अपने खर्च पर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है। जाँचफल प्रतिवेदन, संबंधित कार्य प्रमण्डल में समर्पित करने के पश्चात् ही, किये गये कार्य का भुगतान होगा।

32. सभी महत्वपूर्ण कागजात (i) परिमाण विपत्र की राशि Online भुगतान करने के उपरान्त Challan की प्रति (ii) अग्रधन की राशि (iii) आयकर पैन नं0, (iv) GST निबंधन (v) उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण–पत्र (vi) जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण–पत्र, पथ निर्माण विभाग का पत्रांक 2033 (E) दिनांक 11.04.2022 प्रभावी होगा, तथा (vii) कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association एवं Partnership firm/ LLP में Partnership Deed, निविदा के साथ उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण– पत्रों की स्वहस्ताक्षरित पठनीय प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। हालाँकि तकनीकी बीड पर निर्णय के पूर्व प्रमाण पत्र वैधता निविदा प्राप्ति की तिथि तक होना अनिवार्य है। **पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत एवं भविष्य में निर्गत होनेवाले सभी परिपत्र निविदा पर लागू होगा।**

नोटः– **एकरारनामा के समय भी जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र, कार्यावंटी सम्वेदक / फर्म (कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित कम्पनी के सभी निदे[illegible]ाकों का अलग–अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) एवं योजना कियान्वयन में संबद्ध सभी तकनीकी तथा अन्य कर्मियों का अभिप्रमाणित छायाप्रति पुनः समर्पित करना अनिवार्य होगा।**

33. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल, प्राक्कलन एवं क्वैरी साईट इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्णरूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का पराम र्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा। परियोजना का विस्तृत प्राक्कलित लागत राशि गणना मात्र है, और तकनीकी विशिष्टियों एवं मानक गुणवत्ता के अनुसार कार्य करने के कम में क्वैरी परिवर्तन (Lead chart) के अनुसार कोई दावा मान्य नहीं होगा।

34. निविदाकार द्वारा विगत तीन वर्षों का Financial Turnover (In all classes of civil construction work) Balance Sheet, Profit & Loss Statement एवं Tax Audit Report समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।, साथ ही 1 जुलाई 2019 के बाद चार्टड एकाउन्टेन्ट के स्तर से निर्गत सभी रिपोर्ट/ सर्टिफिकेट पर UDIN अनिवार्य होगा।

35. निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रो में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।

36. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No.- 9941/2022 दिनांक– 06–07–2023 के द्वारा पारित न्यायादेश के कम में पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक– प्र0– 7/मुक0–02–25/ 2022– 4439 (E) पटना, दिनांक– 17–07–2023 को निर्गत आदेश के द्वारा पथ निर्माण विभाग के पत्रांक– 2046 (S) दिनांक– 06–03–2014 को अगले आदेश तक Stay (स्थगित) किया गया है। तद्आलोक में पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना 447(S) दिनांक– 16–01–2020 सह पठित ज्ञापांक– 448(S) दिनांक– 16–01–2020 के आलोक में प्रति त दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है साथ ही परिमाण विपत्र की

दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं0 448/पटना दिनांक 16.01.2020 के अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तद्आलोक मे Additional Performance Guarantee एकरारनामा के पूर्व निम्न प्रकार से लिया जाएगा।

a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25. प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से उपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

37. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।

38. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिवस को उसी प्रकिया से चार बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी ।

39. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुर्ननिविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। संबंधित कार्य का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।

40. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल या अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अंचल पटना या मुख्य अभियंता बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में, सम्पर्क किया जा सकता है।

41. **संवेदक द्वारा निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य है–**

(क) मेरे/हमारे द्वारा निम्नलिखित कार्य कराये जा रहे हैं :–

क0 सं0	कार्य का नाम संस्था का नाम	एकरारनामा की राशि	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	अद्यतन स्थिति/भुगतान की राशि	अगर एकरारनामा की अवधि के बाद कार्य लम्बित है तो क्यों
1	2	3	4	5	6

उपर्युक्त स्तम्भ 2 में वर्णित कोई भी कार्य अकारण अर्थात् मेरे / हमारे कारण लम्बित नहीं है

(ख) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय /थाना में विचाराधीन नहीं है।

(ग) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लंबित नहीं है, कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा लंबित नहीं है तथा एकरारनामा के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया हूँ। मेरे द्वारा निर्मित / निर्माणाधीन भवनों में गुणवत्ता से संबंधित कोई आरोप नहीं है।

(घ) मेरा/हमारा कोई निकट संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(ङ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण–पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।

(च) उपरोक्त कंडिका 'क' :ख' 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'ङ' में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या कोई अभिलेख जाली पाये जाने पर निगम के सक्षम प्राधिकार, मेरे उपर विधिसम्मत दण्ड यथा मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने तथा प्राथमिकी दर्ज करने एवं निविदा अमान्य करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

42. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

43. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–मेल पर, निगम की ओर से प्रेषित कोई भी सूचना आधिकारिक तौर पर उन्हें प्रदत्त /उपलब्ध मानी जायेगी।

44. किसी भी तरह के शुद्धि–पत्र को निगम के बेवसाईट bpbcc.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

27.6.24

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

ज्ञापांक– एच0क्यू– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, परिमाण विपत्र शाखा, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को परिमाण विपत्र अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

27.6.24

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक– एच0क्यू– 2260 पटना, दिनांक– 28/6/2024

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल– पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी ऑन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

27.6.24

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक– एच0क्यू– 2260 पटना, दिनांक– 28/6/2024

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल– 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ कार्यपालक अभियंता, प्रमंडल– मोनिटरिंग/विद्युत/सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण–1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

27.6.24

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक–एच0क्यू– 2260 पटना, दिनांक– 28/6/24

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, नवादा/ बक्सर/ गोपालगंज/ मधेपुरा/ अररिया/ शिवहर/ भागलपुर/ पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/ जहानाबाद/ नवगछिया/ पटना एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

27.6.24

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।